न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी मन मोहन मीना

प्रकरण संख्या 54/19 दायर दिनांक 16.5.19

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री गीलाराम जाति बैरवा निवासी ए-49 तिरुपति नगर जगतपुरा जयपुर राज०

---वादी

बनाम

(i) जगन पुत्र सावलिया
(ii) रूपी पुत्र सावलिया
(iii) रंगी पुत्र काडू
(iv) छोटेलाल पुत्र हरीकिशन
(v) जयनारायन पुत्र मंगल
(vi) रामनारायन पुत्र मंगल

} जातियान मीना निवासी ग्राम खिरनी तहसील-कुम्हेर (भरतपुर)

---- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता : श्री चन्द्रशेखर तिवारी - वादी

निर्णय दिनांक - 14-2-2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ०ख० नं० 397 रकबा 0.6400 हैक्टर वाके ग्राम खिरनी तहसील कुम्हेर में स्थित है। जिसका वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रामकिशन पुत्र किशोरीलाल जाति बैरवा निवासी कुडा तहसील टोडाभीम जिला करौली से खरीद किया था। जिसके आधार पर वादी उक्त सम्पूर्ण रकबा का खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बावत् एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA के तहत रामकिशन पुत्र किशोरीलाल द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के समक्ष पेश किया था। जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 18-5-2018 को श्रीमान तहसीलदार साहब कुम्हेर को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने हेतु आदेशित किया था। जिसकी हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा गांव खिरनी के व्यक्तियों की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दुओं से जरीब चलाकर निशानात कायम कर पत्थरगढ़ी करवाई गई।